न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 73 /2019 (Bank Case)

रेलीगेर हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय सैकिण्ड फ्लोर, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू पैलेस, न्यू देहली–110019 एवं शाखा कार्यालय नम्बर 302–303, थर्ड फ्लोर लुहाडिया टॉवर के 11, अशोक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर–3020001 जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट ।

क्रेडिटर – प्रार्थी /सिक्योर

1. श्री सुधांशु शर्मा पुत्र श्री प्रमोद कुमार शर्मा ––(ऋणी)
   पता–3 के 18, तलवण्डी, वार्ड नम्बर 39, जिला कोटा–324005 राज. ।
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री नारायण लाल शर्मा
   पता–3 के 18, तलवण्डी, वार्ड नम्बर 39, जिला कोटा–324005 राज. ।
   ––(सहऋर्णी)
3. श्रीमति गुरूचरण शर्मा पत्नि श्री नारायणलाल –– (सहऋणी/बंधककर्ता)
   पता– 3 के 18, तलवण्डी, वार्ड नम्बर 39, जिला कोटा –324005 राज. ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 19.06..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेलीगेरहाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय सैकिण्ड फ्लोर, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू पैलेस, न्यू देहली–110019 एवं शाखा कार्यालय नम्बर 302–303, थर्ड फ्लोर लुहाडिया टॉवर के 11, अशोक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर से अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से ऋण अनुबन्ध संख्या XMHDKHO00094063 दिनांकित 30.12.2016 को 40,00,000/– (अक्षरेः रूपये चालिस लाख, मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नम्बर 3 एच 3, तलवण्डी, जिला कोटा माप लगभग 44.625 वर्गमीटर है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.7.2015 से गुरूचरण शर्मा पत्नि श्री प्रमोद कुमार शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी 3 के 18 तलवण्डी कोटा के नाम है, जिसकी चतुःसीमाएं– पूर्व में मकान नम्बर 3 एच 4, पश्चिम में–मकान नम्बर 3 एच 2, उत्तर में– रोड, दक्षिण में–मकान नम्बर 3 एच 25** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 41,36,161.86 (अक्षरे रूपये इक्तालिस लाख छत्तीस हजार एक सौ इकसठ रूपये छियांसी पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 17.12.2018 तक शेष देय है व दिनांक 18.12. 2018 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थीगण को दिनांक 20.12.2018 को प्राप्त हुए, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2018 को प्राप्त हुए, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.12.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2018 को प्राप्त हुए, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । मे **अचल सम्पत्ति मकान नम्बर 3 एच 3, तलवण्डी, जिला कोटा माप लगभग 44.625 वर्गमीटर है, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.7.2015 से गुरूचरण शर्मा पत्नि श्री प्रमोद कुमार शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी 3 के 18 तलवण्डी कोटा के नाम है,** जिसकी चतुःसीमाएं– **पूर्व में मकान नम्बर 3 एच 4, पश्चिम में–मकान नम्बर 3 एच 2, उत्तर में– रोड, दक्षिण में– मकान नम्बर 3 एच 25** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 19.06.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner